संख्या-204/2026/आई/1411928/2026/002-23-9002-002-18-2026

प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2026

विषय - वित्तीय वर्ष 2026-27 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत अनुदान सं0-57/83 मद में जनपद बिजनौर के 01 सेतु के चालू कार्य हेतु लैप्स धनराशि के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र सं0- 570/ सामान्य-सेतु-31/2026-27 दिनांक 19-05-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर के 01 सेतु के चालू कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0 10.00 लाख (जिसमें अनुदान सं0-57 से रू0 7.88 लाख एवं अनुदान सं0-83 से रू0 2.12 लाख की धनराशि सम्मिलित है) की लैप्स धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	मुख्य अभियंता (सेतु) का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत/ प्रावैधिक स्वीकृति लागत	अब तक कुल आवंटन (व्यपगत धनराशि सहित)	लैप्स धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 अवमुक्त धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आई/691671/2026 दिनांक 20-07-2026	बिजनौर	जनपद बिजनौर में बालावली किरतपुर नहटौर चांदपुर फीना मार्ग(प्र0जि0मा0 सं0-170डब्लू) के कि0मी0 46 से 3 गुना 3 मी0 स्पान की 2 दरों की बॉक्स कल्वर्ट व पहुंच मार्ग का नवनिर्माण कार्य	51/2023/आई/ 512/2022-23-9002(001)/4/2022, दिनांक 03-03-2023	74.54 74.54	55.94	10.00	7.88	2.12	10.00
				योग				7.88	2.12	10.00

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।।

(4) स्तम्भ -4 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्धिरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 7,88,000(रुपये सात लाख अठ्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041013400 नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 2,12,000 (रुपये दो लाख बारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891600 नाबार्ड पोषित आर0आई0 डी0एफ0 के अन्तर्गत सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सुबास राम
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-204/2026/आई/1411928/2026(1)/002-23-9002-002-18-2026-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद ।

4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।

6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

8- प्रबंधक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

9- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।

10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

12- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

13- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।

14- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

15- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

16- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।

17- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2

18- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

सुबास राम

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।